मध्यप्रदेश शासन

सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2019-2020

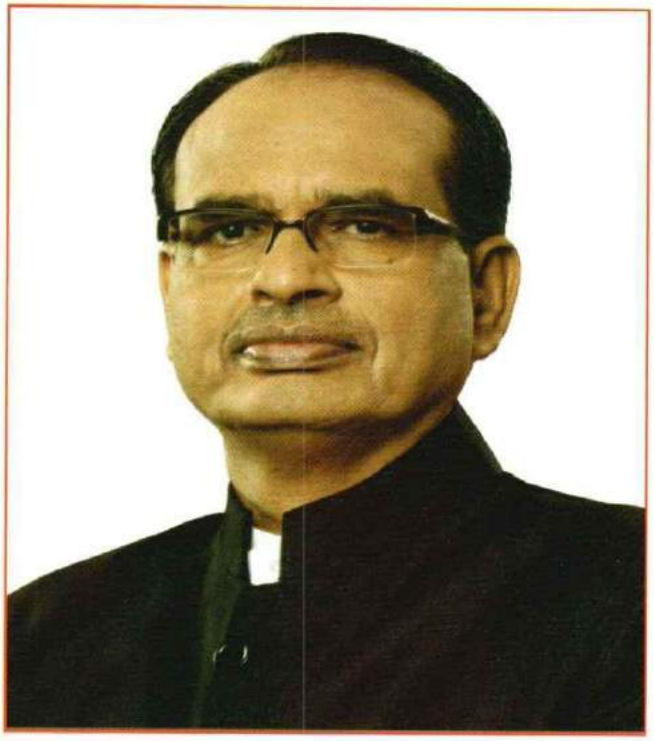

माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन

माननीय डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया

सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019–20

म.प्र. राज्य सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, भोपाल
2020

प्रस्तावना

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं हैं। प्रदेश में सहकारी आंदोलन ने अपनी अनेक चुनौतियों के बावजूद भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित और शोषित कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकतांत्रिक साधन के रूप में पारस्परिक सहायता पर आधारित सहकारी संस्थाओं का गठन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। समाज के सामाजिक विकास में एवं प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में सहकारिता क्षेत्र की महती भूमिका रही है और सहकारी संस्थायें अपनी भूमिका का निर्वहन सक्षमता के साथ कर रही हैं। सहकारी संस्थायें अपने से जुड़े समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान को केन्द्र में रखकर सामाजिक/आर्थिक समानता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रही है ।

इस योजना में ग्राम स्तर पर परम्परागत व्यवसाय, के साथ–साथ कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों में पारंगत व व्यवसायरत व्यक्तियों, युवाओं, महिलाओं की सहकारी समिति का गठन कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही उनके उत्पादों की विपणन की व्यवस्था भी की जायेगी। सरकार की इस योजना से जहां ग्रामस्तर पर स्वरोजगार की प्राप्ति होगी वहीं दूसरी ओर आय के साधनों में वृद्धि होगी। इस योजना के साकार होने से रोजगार के अभाव में ग्रामीणों का पलायन भी रूक सकेगा साथ ही स्थानीय मानव श्रम का सदुपयोग हो सकेगा।

नये क्षेत्रों में प्रवेश के लिये सहकारिता में नवाचार को एक अभियान के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवाचार अंतर्गत प्रदेश में अनेक नवीन क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया गया है। सहकारिता में अब तक 531 नवीन सहकारी समितियों का पंजीयन प्राथमिक एवं राज्य स्तर पर किया गया है।

विभाग की गतिविधियों में अल्पावधि फसल ऋण का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2018–19 के लिए अल्पावधि फसल ऋण हेतु राशि रूपये 16000 करोड़ के ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 31.03.2019 तक राशि रूपये 12597.43 करोड के अल्पावधि फसल ऋण वितरित किये गये हैं। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 18000.00 करोड के अल्पकालीन फसल ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2020 तक राशि रूपये 11438.28 करोड़ का फसल ऋण वितरण किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक एवं इसकी 24 शाखाओं तथा 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 829 शाखाओं को कोर बैंकिंग से संबद्ध किया गया है।

प्रदेश में सहकारिता के विकास के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना भी संचालित की जा रही है। 43 राजस्व जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इन पूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 3.43 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता विकसित की गई है। 06 परियोजनाएं वर्तमान में संचालित है।

प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं उनमें पारदर्शिता लाने के लिये उनके कम्प्यूटराईजेशन के लिये विभाग प्रयासरत है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा पैक्स के कम्पयुटरीकरण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आगामी कार्यवाही प्रचलित है।

अंकेक्षण कार्य को पारदर्शी, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये स्वचलित कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से अंकेक्षण आवंटन की व्यवस्था लागू की गयी।

भाग – एक

विभागीय संरचना एवं कार्यकलाप

सहकारिता विभाग के अधीनस्थ 03 विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालित है। जिनका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय एवम् उनके अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ, म0प्र0।
2. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल।
3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल।

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के अधीन विभिन्न अधिकारी संभाग /जिलों में कार्यरत है। विभाग का नेटवर्क जिला स्तर तक फैला है। विभाग में अंकेक्षण बोर्ड कार्यरत है। जिसमें जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (अंकेक्षण) जिला अधिकारी के रुप में पदस्थ है।
   1. संभागों के नाम जहां संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं संभाग प्रमुख है:–
      भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल एवं चंबल संभाग (10 संभाग)
   2. जिलों के नाम जहां उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला प्रमुख है:–
      भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, होशंगाबाद, शहडोल, सीहोर, राजगढ, विदिशा, रायसेन, बैतूल, खरगौन, धार, खण्डवा, झाबुआ, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, सिवनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, बालाघट, टीकमगढ, छतरपुर, सीधी, सतना, अलीराजपुर सिंगरोली, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आगर (मालवा) (कुल 40 जिले)
   3. जिलों के नाम जहां सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला प्रमुख है:–
      हरदा, बडवानी, नीमच, दतिया, श्योपुर, कटनी, डिण्डोरी, दमोह, पन्ना, उमरिया, मण्डला (कुल 11 जिले)
   4. प्रदेश के 51 जिलों में सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (अंकेक्षण) पदस्थ है।
   5. न्यायिक मामलो के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर पर 01 पद अपर पंजीयक, 02 पद संयुक्त पंजीयक, 03 पद उप पंजीयक एवं 04 पद संयुक्त पंजीयक, संभागीय मुख्यालय, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा 04 पद उप पंजीयक जिला कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर के लिये स्वीकृत है, तथा सभी न्यायालयों हेतु 14 पद शीघ्रलेखक, 28 पद न्यायालयिन लिपिक 14 पद भृत्य के (कलेक्टर दर से) स्वीकृत है।

2. म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण, सहकारी न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों पर की गई अपील, रिवीजन आदि का निराकरण करता है। अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा एक शासकीय एवं एक अशासकीय सदस्य का प्रावधान है।

3/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा सहकारी संस्थाओं के निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से निर्वाचन का कार्य संचालन किया जाता है। इस हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के अलावा सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, के पद स्वीकृत है।

वर्ष 2019–20 में किये गये स्थानान्तरण, विभागीय जॉच, पदोन्नतियॉ समयमान वेतनमान, नियुक्तियॉ आदि का विवरण।

स्थानान्तरण

क्रमांक	श्रेणीवार	प्रशासकीय	स्वयं के व्यय पर	आपसी	निरस्त
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम श्रेणी	76	—	—	04
2	द्वितीय श्रेणी	21	—	—	02
3	1. कार्यपालिक	58	45	02	16
	2. अकार्यपालिक	24	11	4	12
4	चतुर्थ श्रेणी	—	01	—	—
	योग	179	57	06	34

विभागीय जॉच

अ.क्र.	संवर्ग श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष में निराकृत	नये प्रकरण	योग
1	राजपत्रित	17	—	4	21
2	अराजपत्रित	38	38	40	40
योग		55	38	44	61

पदोन्नति – वर्ष 2019–20 में किसी भी श्रेणी में पदोन्नतियॉ नहीं की जा सकी है।

समयमान वेतनमान – निम्नानुसार समयमान वेतनमान दिया गया है।

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	प्रथम श्रेणी	06
2	द्वितीय श्रेणी	01
3	1. कार्यपालिक	152
	2. अकार्यपालिक	61
4	चतुर्थ श्रेणी	01
योग	—	221

नियुक्तियां :– निम्नानुसार नियुक्तियाँ की गई है।

क्रमांक	श्रेणी	सामान्य	अ0ज0जा0	अ0ज0ज0जा0	अ0पि0व0	योग
1	द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–	–
2	1. कार्यपालिक	24	19	30	11	84
	2. अकार्यपालिक	02	05	18	05	30
3	चतुर्थ श्रेणी	–	–	01	–	01
	योग	26	24	49	16	115

(1) उपरोक्त के अतिरिक्त सहायक ग्रेड–3 के पद पर 07 तथा भृत्य के पद पर 09 अनुकम्पा नियुक्तियाँ की गई है।

महत्वपूर्ण विभागीय सांख्यिकी जानकारी

मुख्यालय तथा संभाग/जिलों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की स्थिति वर्ष

अ.क्र.	पद नाम	मुख्यालय स्तर पर	संभाग स्तर पर	जिला स्तर पर	योग
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	01	–	–	01
2	अपर आयुक्त एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	03	–	–	03
3	संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	03	14	–	17
4	संयुक्त संचालक वित्त	01	–	–	01
5	उप आयुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	06	–	44	52
6	सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	18	–	69	87
7	सहायक यंत्री	01	–	–	01
8	प्रशासकीय अधिकारी	01	–	–	01
9	लेखा अधिकारी	01	–	–	01
10	अंकेक्षण अधिकारी	09	10	112	131
11	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	18	–	308	326
12	सहकारी निरीक्षक	30	18	860	908
13	उप अंकेक्षक	08	–	466	474
14	अधीक्षक	06	–	–	06
15	संभागीय अधीक्षक	–	10	–	10
16	सहायक ग्रेड–1	22	–	86	108
17	सहायक ग्रेड–2/न्यायालयिन लिपिक	55	26	116	197

18	सहायक ग्रेड–3	41	27	147	215
19	स्टेनोग्राफर	16	14	12	42
20	स्टेनोटायपिस्ट	03	–	20	23
21	वाहन चालक	04	02	16	22
22	सुपरवाईजर	02	–	–	02
23	दफ्तरी	03	10	33	46
24	जमादार	01	–	–	01
25	भृत्य	42	37	222	301
26	चौकीदार	02	–	06	08
27	फर्राश	02	–	06	08
28	पानीवाला	02	–	–	02
29	स्वीपर	01	–	–	01

म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन भोपाल

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

अ.क्र.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिर्माक
1	2	3	4	5	
1	अध्यक्ष	01	01	–	–
2	विभागीय सदस्य	01	01	–	प्रतिनियुक्ति से
3	सदस्य (सहकारी क्षेत्र से)	01	–	01	–
4	रजिस्ट्रार	01	01	–	प्रतिनियुक्ति से
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (हिन्दी)	03	02	01	01 पद प्रतिनियुक्ति से
6	शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (अंग्रेजी)	01	–	01	–
7	सहायक ग्रेड–1/लेखापाल	02	–	02	01 पद प्रतिनियुक्ति से
8	सहायक ग्रेड–2	04	02	02	02 पद प्रतिनियुक्ति से
9	सहायक ग्रेड–3	03	03	–	01 पद प्रतिनियुक्ति से
10	वाहन चालक	04	02	2	02 प्रतिनियुक्ति से
11	जमादार	01	–	01	–
12	भृत्य	09	05	4	04 प्रतिनियुक्ति से
13	चौकीदार	01	–	01	–
14	सफाईवाला कम फर्राश (अंशकालिक)	01	–	01	
		33	17	16	

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

अ. क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	निर्वाचन प्राधिकारी	01	01	–
2	सचिव	01	–	01
3	उप सचिव	01	–	01

4	अवर सचिव	01	01	—
5	लेखापाल	01	01	—
6	सहकारी निरीक्षक	02	—	02
7	लिपिकीय कर्मचारी	04	04	—
8	शीघ्रलेखक	04	1	03
9	कम्प्यूटर आपरेटर	02	0	02
10	भृत्य	05	03	02
11	प्रोसेस सर्वर	02	01	01
12	चौकीदार	01	—	01
	योग:—	25	12	13

विभाग के अंतर्गत आने वाली प्रमुख शीर्ष संस्थाओं का विवरण

1. सहकारिता विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

क्रमांक	संस्था का नाम
01	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
02	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., भोपाल
03	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या. भोपाल
04	म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या., भोपाल
05	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल
06	म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन संघ मर्या., भोपाल
07	म.प्र.राज्य सहकारी मुद्रणालय मर्या., भोपाल
08	म.प्र. राज्य सहकारी भण्डार गृह संघ मर्या., भोपाल
09	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी शक्कर कारखाना संघ मर्या., भोपाल
10	म.प्र. राज्य सहकारी पर्यटन संघ मर्या., भोपाल
11	म.प्र. जन औषधि सहकारी विपणन संघ मर्या., भोपाल

2. पशुपालन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	एम.पी.स्टेट को—ऑपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल

3. वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य लघुवनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्या., भोपाल

4. मछली पालन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या. भोपाल

5. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभागके प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी औद्योगिक संघ मर्या., भोपाल
2	म.प्र. राज्य सहकारी रेशम संघ मर्या., भोपाल

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी पावरलूम बुनकर संघ मर्या., बुरहानपुर

7. अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्या., भोपाल

8. वर्तमान में परिसमापनाधीन प्रमुख शीर्ष संस्थायें

1	म.प्र. राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल
2	म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन संघ मर्या., भोपाल

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाओं के क्रियाकलाप

प्रदेश में अल्पकालीन त्रिस्तरीय साख संरचना निम्नानुसार है:-

1. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं:-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें कार्यरत है। कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण इन संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण की प्रतिपूर्ति जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा की जाती है। इन संस्थाओं के द्वारा मुख्यतः कृषि कार्यो के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि नगद ऋण, खाद तथा बीज के रूप में होता है। इन संस्थाओं के द्वारा शासन की नीति अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के संचालन का कार्य एवं समर्थन मूल्य पर गेहूं ,धान तथा मक्का आदि का उपार्जन किया जाता है।

2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक:-

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा न केवल प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति ही की जाती है बल्कि इन बैंकों के द्वारा अकृषि ऋण यथा आवास ऋण, वाहन ऋण, व्यवसायिक ऋण आदि भी दिया जाता हैं। प्रदेश में 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकें अपनी 829 शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय करती है। सभी 38 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में निम्नानुसार आधुनिक बैंकिंग सुविधायें लागू हैं:-

- 38 जिला सहकारी बैंकों की समस्त 328 शाखाएँ सी.बी.एस प्लेटफॉर्म पर कार्यरत हैं एवं उनके ग्राहकों को भी NEFT/RTGS, रूपे डेबिट कार्ड की सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा पैक्स के कृषक सदस्यों को 22 लाख रूपे किसान केडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ।
- सभी जिला बैंकों में डीबीटी सुविधा लागू है ।
- रीवा, दतिया एवं सीधी जिला बैकों को छोड़कर शेष 35 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा रूपे ए.टी.एम/डेबिट कार्ड भी अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराये गये हैं जिससे बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी बैंक के ए.टी.एम से इसका संचालन किया जा सकता है। साथ ही ई–कॉमर्स सुविधा अंतर्गत इसका उपयोग किया जा सकता है ।
- 11 जिला बैंकों यथा भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन, विदिशा, दमोह, खण्डवा, मुरैना, देवास, धार एवं नरसिंहपुर में IMPS (Immediate Payment Service) सेवाऐं संचालित हैं। शेष बैंकों में शीघ्र ही इस सेवा को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 10 जिला सहकारी बैंकों यथा भोपाल, विदिशा, सीहोर, खरगोन, इंदौर, छिंदवाड़ा, खण्डवा, बैतूल, धार एवं झाबुआ द्वारा अपने स्वयं के 22 ए.टी.एम भी विभिन्न शाखाओं में स्थापित किए गए हैं।
- समस्त 38 जिला बैंकों में पीएफएमएस योजना कियान्वित हो गई है ।
- 38 जिला बैंकों में CKYC सुविधा लागू करने के लिए टीसीआईएल कम्पनी को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। सुविधा लागू करने के लिए CERSAI की सदस्यता प्राप्त हो गई है। आवश्यक इंटरफेस तैयार होने पर टेस्टिंग होगी, तदोपरांत सेवाऐं लागू हो जावेंगीं।
- जिला सहकारी बैंकों में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा लागू किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का पालन आवश्यक है जिसके अनुसार बैंक की सीआरएआर 9 प्रतिशत से अधिक हो, एनपीए 5 प्रतिशत से कम हो तथा विगत 3 वर्षो में लाभार्जन की स्थिति रही हो। वर्तमान में 3 जिला बैंक यथा इंदौर, खरगोन एवं विदिशा ही इन मानदंडों की पूर्ति करते है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, इंदौर में मोबाइल बैंकिंग सेवायें रिजर्व बैंक के लायसेंस के बाद प्रारंभ हो गई हैं ।
- जिन जिला बैंकों को रिजर्व बैंक से मोबाइल बैंकिंग लायसेंस प्राप्त होंगे, वे बैंक ही यूपीआई की सुविधा लागू कर सकते हैं ।

जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

(राशि रू.करोड़ों में)

क्र.	मद	वर्ष 2018–19 (अंकेक्षित)	वर्ष 2019–20 (31 मार्च,20 तक अनुमानित)
1.	जिला बैंकों की संख्या	38	38
2.	अमानतें	19274.94	19990.58
3.	कार्यशील पूंजी	38669.87	41469.00
4.	ऋण वितरण	12597.43	11438.28

3. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक)

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत यह शीर्ष स्तरीय संस्था है। अपेक्स बैंक न केवल अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति जिला बैंकों को करता है बल्कि यह अपनी 24 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय भी करता है। प्रदेश की सभी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग प्रणाली लागू हो गई है, जिससे अपैक्स बैंक मुख्यालय एवं इसकी 24 शाखाओं एवं 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्यालय एवं 829 शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंकिंग कार्य किया जा रहा है। अपेक्स बैंक द्वारा निम्नानुसार आधुनिक बैंकिंग सुविधायें जारी हैं:–

1. व्यवसायिक बैंकों के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग सेवाऐं यथा NEFT/RTGS, IMPS (Immediate Payment Service), रूपे डेबिट कार्ड की सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की सुविधा लागू है जिससे खाता धारकों के खाते में सीधे विभिन्न सब्सिडी राशि प्राप्त हो रही हैं । इसके अलावा पीएफएमएस योजना भी संचालित है।
2. अपेक्स बैंक के ग्राहकों को रूपे आधारित एटीएम सह डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत बैंक का ग्राहक किसी भी एटीएम से नगदी प्राप्त कर सकता है तथा कार्ड के माध्यम से सभी प्रकार की ई–कॉमर्स सुविधा का लाभ भी ले सकता है।
3. अपेक्स बैंक के ग्राहकों को अन्य बैंकों की भांति आधुनिक बैंकिंग सेवायें दिये जाने की दिशा में मोबाईल बैंकिंग सेवायें 13.1.2020 से प्रारंभ की जा चुकी है। इसी प्रकार ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं के अंतर्गत बैंक के ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग (व्यू फेसिलिटी) की सेवायें भी 13.1.2020 से प्रारंभ की जा चुकी है।
4. शीर्ष बैंक के ग्राहकों को यूपीआई के तहत भुगतान की सुविधा भी दिए जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है । इस हेतु NPCI एवं TCS स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है, जिसके उपरांत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।

5. शीर्ष बैंक द्वारा टीसीआईएल कम्पनी को केंद्रीय केवायसी (CKYC) के क्रियान्वयन के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। सुविधा लागू करने के लिए CERSAI की सदस्यता प्राप्त हो गई है। आवश्यक इंटरफेस तैयार होने पर टेस्टिंग होगी, तदोपरांत सेवाऐं लागू हो जावेंगी।

6. शीर्ष बैंक के 02 ATM भोपाल मुख्यालय एवं राईट टाउन, जबलपुर शाखा में संचालित है। इसके अतिरिक्त अन्य 03 शाखाओं अरेरा कॉलोनी, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल एवं खरगोन में ATM स्थापित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अपेक्स बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:—

(राशि रु.करोड़ों में)

क.	मद	वर्ष 2018-19 ([illegible])	वर्ष [illegible] ([illegible])
1.	शाखाओं की संख्या	24	24
2.	अंषपूंजी	751.23	756.87
3.	अमानतें	5340.43	6096.02
4.	कार्यषील पूंजी	15032.79	14277.93
5.	शुद्ध लाभ	21.24	156.55

4/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल

प्रदेश में दीर्घावधि कृषि साख के क्षेत्र में गठित 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को मंत्रिपरिषद द्वारा 21 जुलाई, 2015 को लिये गये निर्णय के अनुक्रम में परिसमापन में लाया गया है।

राज्य शासन द्वारा राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मचारियों का विभिन्न सहकारी संस्थाओं/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में संविलियन किये जाने हेतु संविलियन योजना लागू की गई थी। दिनांक 31.12.2019 तक प्रभावशील उक्त योजना में निम्नानुसार सेवायुक्तों का संविलियन किया गया :—

क्रमांक	बैंक का नाम	कुल सेवायुक्त	संविलियत सेवायुक्त	संविलियन योजना की अवधि में सेवानिवृत्त सेवायुक्त	वर्तमान में संविलियन हेतु शेष सेवायुक्त
01	जिला विकास बैंक	1008	830	133	45
02	राज्य विकास बैंक	156	118	34	04
	योग	1164	948	167	49

वर्तमान में 49 सेवायुक्त गोपनीय चरित्रावली 'ग' श्रेणी की होने/विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दायर होने/गबन आदि के प्रकरण लंबित होने के कारण संविलियन हेतु अपात्र है।

5/ म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., भोपाल

विपणन संघ क्षेत्र में द्विस्तरीय संरचना के अंतर्गत प्रदेश में कृषि उपजों के विपणन एवं भंडारण के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर म.प्र.राज्य सहकारी विप.संघ वर्ष 1956 से कार्यरत है, जिसके अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर 240 प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाऐं कार्यरत हैं। संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान जैसे उर्वरक, कीटनाशक, दवाईयां, प्रमाणित बीज एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाते है। कृषकों को उनकी उपजों का उचित मूल्य दिलाना, कृषकों द्वारा उत्पादित उपजों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करना संघ का मुख्य कार्य है। संघ द्वारा 41 जिला कार्यालयों के माध्यम से उक्त व्यवसाय किया जाता है। विपणन संघ द्वारा कुल 8.81 लाख मै0टन क्षमता के गोदामों का संचालन किया जा रहा है।

संघ की वित्तीय स्थिति वर्षवार निम्नानुसार है :–

(राशि रुपये करोड में/मात्रा लाख टन में)

क्र.	मद	वर्ष 2018–19 (अंकेक्षित)	वर्ष 2019–20 (अनअंकेक्षित)	वर्ष 2020–21 (अनुमानित)
01	अंशपूंजी	8.74	8.74	8.74
02	निधियाँ	126.42	126.42	126.42
03	कार्यशील पूंजी	1042.28	850.00	850.00
04	कुल व्यवसाय	16767.77	12065.51	15929.71
05	शुद्ध लाभ	48.90	27.46	59.47
06	कृषि आदान वितरण	3140.80	3370.45	3373.68
07	समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन (मात्रा)	25.78	26.00	30.00
08	समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन (मात्रा)	8.63	9.00	9.00

6/ म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल

गृह निर्माण क्षेत्र में द्विस्तरीय संरचना के अंतर्गत प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आवास ऋण एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल तथा जिलों में प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल वर्ष 1970 से कार्यरत है। वर्तमान में आवास संघ की प्रदेश में 975 प्राथमिक गृह निर्माण संस्थाएं सदस्य हैं। आवास संघ संभाग स्तर पर अपनी 03 शाखाओं भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर के माध्यम से अपना व्यवसाय करता है। आवास संघ का मुख्य उद्देश्य राज्य की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं/व्यवसायिक निर्माण से संबंधित संस्थाओं/कम्पनियों/व्यक्तियों के माध्यम से आवासीय एवं अनुषंगी सुविधायें उपलब्ध कराना है। आवास संघ गृह निर्माण सहकारी

संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि के विकास का कार्य तथा संयुक्त उपक्रम परियोजना के अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य भी करता है। आवास संघ द्वारा डिपोजिट वर्क के आधार पर विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों के निर्माण कार्य भी किये जा रहें है। वर्तमान में आवास संघ की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

1. **अंशपूंजी**

(क) संघ की सदस्य गृह निर्माण सहकारी समितियाँ – 2.19 करोड़

(ख) मध्यप्रदेश शासन का योगदान – 3.13 करोड़

योग :– 05.32 करोड़

2. **<u>हानि</u>**

(अ) वर्ष 2019–20 की हानि 27.14 करोड़ (अन–अंकेक्षित)

(ब) संचित हानि 280.41 करोड़ (अन–अंकेक्षित)

संघ द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. रचना नगर, भोपाल में स्थित 6.16 एकड़ भूमि पर मान्नीय विधायकों/ सांसदों हेतु रूपये 176.00 करोड़ की लागत से बहुमंजिला 368 प्रकोष्ठों के रचना टावर्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आवास संघ द्वारा 6 ट्रेड की आई.टी.आई. 09 एवं 3 ट्रेड की आई.टी.आई. 03 का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/एफ–15–1/2016/42–2 भोपाल दिनांक 21.12.2016 है। वर्तमान में 06 ट्रेड की आई.टी.आई. हाट पिपलिया जिला देवास, बेगम गंज एवं सिलवानी जिला रायसेन, घोड़ा डोंगरी जिला बैतुल, मानपुर जिला उमरिया, पाली जिला उमरिया, चन्दला जिला छतरपुर बदरा जिला अनूपपुर, पिपलानारायणवार जिला छिन्दवाड़ा, एवं 03 ट्रेड की आई.टी.आई, खाचरोद जिला उज्जैन, मैहर जिला सतना एवं उमरिया जिला उमरिया का कार्य प्रगति पर है।
3. म.प्र. राज्य सहकारी बीज एवं उत्पादक एवं विपणन संघ के लिये 1000 एमटी क्षमता गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट के 14 गोदामों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, शेष 04 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं बरखेड़ा खुर्द जिला गुना गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट का कार्यादेश शीघ्र ही जारी किया जाना है।
4. आयुष विभाग के अंतर्गत आयुष परिसर भोपाल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय तथा छात्रावासों आदि का कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में सफलतापूर्वक किया गया है।
5. मध्य प्रदेश आवास संघ, कोलार सेक्टर पर 352 आवासीय प्रकोष्ठ सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति, भोपाल के लिये निर्माण कार्य प्रारंभ है।

6. संस्कृति विभाग के लिये जनजातीय संदर्भ केन्द्र तथा संग्रहालय की योजना पर कार्य किया जा रहा है, इसके लिये वास्तुकार का चयन किया जा चुका है तथा शीघ्र ही निविदा प्रकाशन किया जाना है।

7/ म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या., भोपाल

प्रदेश में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों, थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों एवं अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से आम उपभोक्ता वस्तुयें प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित यह शीर्ष संस्था कार्यरत है।

संघ द्वारा प्रदेश में संभागीय स्तर पर संचालित 8 शाखा, 3 प्रियदर्शिनी केन्द्रों एवं 1 विस्तार पटल, इस प्रकार कुल 04 प्रियदर्शिनी केन्द्रों, खंडवा शहर में 01 गैस इकाई तथा भोपाल में 1 प्रेस इकाई के माध्यम से उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोगी वस्तुयें एवं कार्यालयीन सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। उपभोक्ता संघ के विगत तीन वर्षों के व्यवसाय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	व्यवसाय
01	2017–18	रू. 58.46
02	2018–19	रू. 47.50
03	2019–20 (31 मार्च 2020 तक)	रू. 40.92

वर्तमान में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में उपभोक्ता संघ अपने प्रियदर्शिनी केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं ग्राहकोन्मुखी व्यवसाय के प्रति प्रयासरत है और इन सभी व्यावसायिक गतिविधियों में आधुनिक आई.टी.तकनीक के प्रयोग के लिये उपभोक्ता संघ सचेष्ट हैं।

8/ म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्या., भोपाल

कृषि को लाभ का धंधा बनाये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बीज स्थापन दर में वृद्धि करने एवं प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2002 से प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों के गठन/पंजीयन का अभियान प्रारंभ किया गया एवं वर्ष 2004 में प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में संघ का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 2406 प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत है। बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या 846 है । मार्च 2020 की स्थिति में बीज संघ की अंश पूंजी 518.46 लाख है।

वर्तमान में प्रदेश की शासकीय संस्थाओं के बीज उत्पादन/वितरण में बीज संघ का 81 प्रतिशत योगदान है। बीज समितियों के माध्यम से बीज उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप बीज प्रतिस्थापन दर में हुई बढ़त के कारण प्रदेश के कृषि उत्पादन वृद्धि दर में बीज संघ की महत्वपर्ण सहभागिता रही है।

9/ बीज उत्पादन/ वितरण की प्रगति :–

वर्ष 2005–06 में बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा 19.85 हजार हेक्टेयर पंजीकृत क्षेत्र में 2.11 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया, जो वर्ष 2019–20 में बढकर 83.24 हजार हेक्टेयर पंजीकृत क्षेत्र में 12.63 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन हुआ, जिसे बीज उत्पादक समितियों के माध्यम से वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया।

आगामी 02 वर्षों के प्रस्तावित बीज उत्पादन कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

वर्ष	क्षेत्रोच्चादन (क्षेत्र हजार हेक्टेयर में)	बीज उत्पादन (लाख क्विं. में)
2020–21	84.74	25.21
2021–22	85.74	25.84

कृषि मामलों में गठित कृषि केबिनेट द्वारा दिनांक 08.12.2011 को लिये गये निर्णय अनुसार बीज संघको चयनित 20 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिग प्लांट निर्माण हेतु एक–एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के निर्णय के पालन में 19 जिलों में शासन से एक–एक एकड़ भूमि निःशुल्क प्राप्त हो चुकी है। जिला हरदा में भूमि आवंटन होना शेष है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल को उक्त भूमि पर 1000 मे. टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु एजेन्सी नियुक्त किया गया है। भूमि प्राप्त सभी 19 जिलों में गोदाम निर्माण हेतु कार्यादेश दिये जा चुके हैं, जिसमें से 13 गोदामों (खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर, विदिशा, बालाघाट, टीकमगढ़ सीधर, देवास, सतना, सीहोर, उज्जैन, धार एवं बड़वानी) का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। 06 गोदामों (होशंगाबाद, रायसेन, मण्डला, दमोह, झाबुआ एवं बैतूल) में निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निर्मित 13 गोदामों में बीज प्रसंस्करण संयत्रों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से ग्रेडिंग मशीन एवं अन्य उपकरण प्रदाय किये गये है। मशीनों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

जिला धार, विदिशा एवं खरगौन के गोदाम सह ग्रेडिंग संयत्रों को संबंधित जिलों की बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज प्रसंस्करण कार्य हेतु लीज पर दिया गया है। शेष संयत्रों को लीज पर दिये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

बीज संघ द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय साधनों से बीज उत्पादन सहकारी समितियों के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं बीज उत्पादक कृषक सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया गया, जिसमे राशि रूपये 1.69 लाख व्यय हुआ।

10/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल

म.प्र. राज्य सहकारी संघ की स्थापना 25 मार्च 1958 को हुई है। संघ 1958 से निरंतर सहकारिता में मानव संसाधन विकास में क्रियाशील है। यह म.प्र. शासन द्वारा वित्त पोषित है।

संघ की प्रमुख गतिविधियों में म.प्र. सहकारी आंदोलन में मानव संसाधन विकास/सहकारी शिक्षण/सहकारी प्रशिक्षण/कम्प्यूटर विधा का ज्ञान तथा सहकारिता का प्रचार प्रसार/साहित्य प्रकाशन सम्मिलित है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समाचार का पाक्षिक रूप से नियमित प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें शासकीय योजनाओं तथा सहकारिता की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2019–20 में 56730 व्यक्तियों को 31 मार्च 2020 तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष 2019–20 में विशेष उपलब्धि बीज उत्पादक समितियों के 90 सदस्यों, समिति के 474 अध्यक्ष/सदस्यों को नेतृत्व विकास प्रशिक्षण तथा सहकारिता विभाग के 438 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

11/ एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

- प्रदेश में एन.सी.डी.सी.नई दिल्ली एवं राज्य शासन की वित्तीय सहायता से वर्ष 1994 से एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं संचालित है। परियोजनाओं अंतर्गत संबंधित जिले की विभिन्न सहकारी संस्थाओं को अधोसंरचना विकास, बैंकिंग काउंटर, लॉकर, फर्नीचर फिक्चर, नावजाल, केन, साईकिल इत्यादि आवश्यक सामग्री हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
- योजनान्तर्गत एन.सी.डी.सी.नई दिल्ली से राज्य शासन को 80 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है तथा राज्य शासन द्वारा परियोजनाओं को 50 प्रतिशत ऋण, 30 प्रतिशत अंशपूंजी एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में मार्च 2019 तक 43 राजस्व जिलों में परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश के 06 जिलो में क्रमशः छतरपुर, सतना, मण्डला, पन्ना, श्योपुर एवं मुरैना में परियोजनायें संचालित है।
- पूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से लगभग विभिन्न क्षमताओं के नवीन गोदाम निर्माण से 285000 मे.टन एवं जीर्णशीर्ण गोदामों की मरम्मत से लगभग 58000 एम.टी. भण्डारण क्षमता विकसित हुई है। इस प्रकार प्रदेश में परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 343000 एम.टी. भण्डारण क्षमता विकसित हुई है।
- वर्तमान में संचालित 06 परियोजनाओं से परियोजनाओं की शेष अवधि में इन परियोजनाओं में प्रस्तावित निर्माणाधीन गोदाम 100 मे.टन/200 मे.टन/500 मे.टन के होने से लगभग 0.10 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता वृद्धि होना संभावित है।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाय) रफ्तार :– वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु आर.के.वी.रफ्तार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता विभाग हेतु निम्न चार प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किये गये है।

(राशि लाखों में)

क्र.	प्रोजेक्ट का नाम	2018–19	2019–20	योग
01.	Project for the repair of 100 MT old Go-down of Cooperative Deptt.	1696.31	1641.83	3330.14
02.	Construction of 200 MT. go-down for PACS	2086.50	2086.50	4173.00
03.	Construction of 1000 MT. go-down for PACS	1800.00	1800.00	3600.00
04.	Project for the 200 MT New Go-down of PACS.	0.00	4173.00	4173.00
	योग	5574.81	9701.33	15276.14

भारत सरकार कृषि विभाग द्वारा Project for the repair of 100 MT old Go-down of Cooperative Deptt. हेतु स्वीकृत राशि रू. 3330.14 लाख के विरूद्ध रू. 1693.12 लाख एवं Construction of 200 MT. go-down for PACS हेतु राशि रू. 4173.00 लाख के विरूद्ध रू. 4173.00 लाख एवं Construction of 1000 MT. go-down for PACS हेतु राशि रू. 3600.00 लाख के विरूद्ध रू. 3600.00 लाख एवं Construction of 200 MT. New go-down for PACS हेतु राशि रू. 1056.00 लाख, इस प्रकार कुल राशि रूपये 10522.12 लाख शासन द्वारा अधिकृत निर्माण एजेंसी म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.भोपाल को प्रदत्त किये गये है।

विभाग के दायित्व

1. प्रशासकीय कार्य

विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जाकर संस्थाओं को मार्गदर्शन व उन पर पर्यवेक्षण तथा उनके उन्नयन हेतु कार्य किए जाते हैं। सहकारी संस्थाओं की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु उनके प्रस्तावों पर विचार कर शासन तथा वित्तदायी एजेन्सियों के माध्यम से ऋण, अंशपूंजी एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। संस्थाओं के संचालक मंडल के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व नवीन संचालक मंडल के गठन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन कराये जाते हैं। संस्थाओं द्वारा सहकारी अधिनियम एवं नियम तथा उनके उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की स्थिति की जानकारी हेतु समय–समय पर निरीक्षण एवं जांच का कार्य किया जाता है।

2. <u>वैधानिक कार्य</u>

सहकारी अधिनियम एवं नियम तथा संस्थाओं की उपविधियों में संस्थाओं के कार्य संचालन के संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गए हैं। संस्थाओं के पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा प्रावधानों के अनुसार दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधान अंतर्गत विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

3. <u>अंकेक्षण कार्य</u>

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में दिनांक 13.02.2013 से हुये संशोधन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षक की नियुक्ति संस्थाओं की आमसभा द्वारा की जाना है। संस्थाओं को स्वतंत्रता दी गई है कि वे सनदी लेखापाल अथवा विभागीय पेनल से सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण करायें। अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत टीप में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण संस्थाओं से कराया जाकर त्रुटियों का निराकरण कराया जाता है। वर्ष 2019–20 में 50674 सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण कराये जाने है जिसमे से मासांत मार्च 2020 की स्थिति पर 45260 सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण पूर्ण किया गया है जो 89 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2019–20 में सहकारी संस्थाओं से वसूली योग्य अंकेक्षण शुल्क की कुल राशि रूपये 2507.66 लाख के विरूद्ध राशि रू. 506.43 लाख की वसूली की गई है।

स्वचलित अंकेक्षण आवंटन प्रक्रिया :– वर्ष 2017–18 से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण आवंटन प्रकिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिये स्वचलित अंकेक्षण आवंटन प्रकिया से आवंटन किये जा रहे है ।

4. <u>न्यायालयीन कार्य</u>

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा नियोजन से संबंधित विवादों का निराकरण सहकारी न्यायालयों में किया जाता है। न्यायालय सहायक/उप पंजीयक द्वारा निराकृत प्रकरणों में प्रथम अपील/निगरानी संयुक्त पंजीयक के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील/निगरानी म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार न्यायालय पंजीयक तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों संयुक्त पंजीयक/अपर पंजीयक द्वारा निराकृत विवाद प्रकरणों के विरूद्ध प्रथम अपील मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण में प्रस्तुत की जाती है।

प्रदेश में लंबित सहकारी न्यायालयीन प्रकरणों की संकलित जानकारी

क्र.	धारा	दिनांक 01.04. 2019 पर लंबित रहे प्रकरणों की संख्या	दिनांक 01. 04.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	योग (3+4)	दिनांक 01.04. 2019 से 31.03. 2020 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.03. 2020 पर लंबित प्रकरणों की संख्या
1	84 क	1867	796	2663	350	2313
2	78	777	435	1212	292	920
3	64	3260	1026	4286	823	3463
4	55 (2)	696	241	937	127	810
5	84	147262	1482	148744	4581	144163
6	80क	179	245	424	134	290
7	अन्य धारा	1481	430	1911	241	1670
योग		155522	4655	160177	6548	153629

प्रदेश में जिलों में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संकलित जानकारी

क्र	सहकारी संस्थाओं के प्रकार	महिला सह. समिति		समस्त सह.समितियां	
		कार्यशील	परिसमापन	कार्यशील	परिसमापन
1	विपणन सहकारी संस्थाऐं	0	0	260	46
2	फल फूल साग सब्जी विपणन सहकारी संस्थाऐं	0	0	157	94
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं	0	0	4541	13
4	प्राथमिक अकृषि साख सहकारी संस्थाऐं	124	48	3118	691
5	प्राथमिक तिलहन सहकारी संस्थाऐं	0	0	25	398
6	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाऐं	1872	310	7870	2102
7	प्राथमिक मछली पालन सहकारी संस्थाऐं	30	4	2337	259
8	प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्थाऐं	41	19	452	519
9	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	1458	83	4332	528
10	खनिज/श्रमिक/उत्खनन सहकारी संस्थाऐं	4	1	566	268

11	गृहनिर्माण सहकारी संस्थाऐं	5	0	2142	874
12	सहकारी प्रिंटिंग प्रेस	9	2	189	67
13	ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाऐं	0	0	1	11
14	औद्योगिक सहकारी संस्थाऐं	76	76	517	1011
15	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्थाऐं	1	0	1073	14
16	सामान्य सहकारी संस्थाऐं	10	10	321	174
17	बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाऐं	1572	457	1755	571
18	बीज उत्पादक सहकारी संस्थाऐं	4	0	1685	802
19	सामूहिक कृषि/कृषि सहकारी संस्थाऐं	0	0	20	223
20	पशु/कुक्कुट पालन सहकारी संस्थाऐं	4	0	73	41
21	प्रसंस्करण सहकारी संस्थाऐं	2	2	30	70
22	शीत गृह सहकारी संस्थाऐं	0	0	12	5
23	स्वायत्त सहकारिता	0	0	0	10
24	सहकारी शक्कर कारखाना	0	0	4	8
25	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	0	0	53	0
26	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	0	0	0	53
27	नागरिक सहकारी बैंक	9	3	75	28
28	जिला सहकारी संघ	0	0	37	2
29	जिला वनोपज संघ	0	0	49	10
30	जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार	0	0	36	7
31	जिला अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति	0	0	45	1
32	जिला बीडी सहकारी संघ	0	0	4	1
33	मछुआ संघ	0	0	3	0
34	वृक्ष सहकारिता	0	0	34	45
35	यातायात सहकारी संस्थाऐं	0	0	99	73
36	अन्य	390	11	966	223
37	शिक्षा/एजुकेशन	0	0	3	0
38	पर्यटन	0	0	22	1
39	सौर उर्जा	0	0	3	0
40	क्रय-विक्रय एवं प्रक्रिया	1	0	75	26
41	जैविक बीज एवं खाद	0	0	52	9
42	नवाचार	9	0	249	0
43	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सह. संस्था	8089	0	8234	0
44	संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सह. संघ	181	0	191	0
	योग	13891	1026	41710	9278

भाग–2

विभागीय बजट 2019–20

भाग–अ–विभागीय अमले एवं नियमित कार्यालयीन व्यय हेतु राजस्व मद अंतर्गत बजट प्रावधानित होता है, साथ ही विभाग के विभिन्न विकास योजनाओं एवं उनसे संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान रखा जाता है। विभाग को प्राप्त होने वाले बजट का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

स. क.	शीर्ष	बजट प्रावधान 2019–20	अनुपूरक	योग	कोषालय से आहरित राशि 31.03.2020तक
1	2	3	4	5	6
1	मांग संख्या –17 (0101)	170497.28	0.00	170497.28	37812.41
2	मांग संख्या 17 (0102)	40999.71	0.00	40999.71	2212.35
3	मांग संख्या –17 (0103)	29580.96	0.00	29580.96	3095.54
4	मांग संख्या–17 (0910)	4146.45	0.00	4146.45	1352.07
5	मांग संख्या–17 एवं अन्य (9999)	13162.42	0.00	13162.42	11269.56
6	मांग संख्या–17 (0701)	0.01	0.00	0.01	0.00
	योग	258386.83	0.00	258386.83	55741.93

भाग–ब (1)–सामान्य (0101), अनुसूचित जनजाति(0102) एवं अनुसूचित जाति (0103) उपयोजनाओं से संबंधित योजनाओं का विवरण:–

						राशि लाख में		
स क.	योजना का नाम एवं योजना कमांक	बजट प्रावधान 2019–20			पुनर्विनियोजन से प्राप्त	अनुपूरक में प्राप्त	कुल योग(3+4+5+6+ 7=8)	कोषालय से आहरित राशि 31.03.2020 की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0101	0102	0103				
1	मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना (2091)	5676.29	2140.28	1488.84	0.00	0.00	9305.41	2505.44
2	अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (7827)	400.00	40.00	20.00	0.00	0.00	460.00	0.00
3	प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृणीकरण (6676)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
4	म.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों का क्रय (3242)	10065.00	0.00	0.00	1076.94	0.00	11141.94	10064.96
5	नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी सहायता (6684)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	25.00
6	सहकारी बैंकों को अंशपूंजी (5318)	80000.00	11500.00	8500.00	-1076.94	0.00	98923.06	0.00
7	सहकारी शक्कर कारखानों की स्थापना एवं सहायता (2113)	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	821.99	821.99
8	भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्ज (6680)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
9	बीज संघ को रिवाल्विंग फंड हेतु अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

	(2111)							
10	भण्डार गृह निर्माण हेतु अनुदान (6678)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11	राज्य सहकारी संघ तथा जिला सहकारी संघ के गठन की योजना (3699)	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	45.20
12	प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (5006)	935.49	370.56	66.29	0.00	0.00	1372.34	918.73
13	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान (9134)	5765.11	2173.73	1512.16	0.00	0.00	9451.00	4742.38
14	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान (9254)	42669.50	16088.50	11192.00	0.00	0.00	69950.00	6306.43
15	बीज संघ की स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान (6662)	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	318.26	254.61
16	मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना (2341)	15428.28	8686.64	6801.65	0.00	0.00	30916.57	10916.58
17	वित्तीय शिक्षण (2106)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
18	नवाचार अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन हेतु सहायता (2107)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
19	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों/म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक को अंशपूंजी सहायता (2112)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
20	अधीक्षण (0123) वेतन भत्ते	6738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6738.11	5519.29
21	संचालनालय की स्थापना (2294) वेतन भत्ते	1133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1133.99	999.68
	योग	170497.28	40999.71	29580.96	0.00	0.00	241077.95	43120.29

भाग ब– (2) अन्य योजनाओं अन्तर्गत बजट का विवरणः–

राशि लाख में

स क.	योजना का नाम एवं योजना कमांक	बजट प्रावधान 2019–20			पुनर्विनियोजन से प्राप्त	अनुपूरक में प्राप्त	कुल योग(3+4+5+6+7=8)	कोषालय से आहरित राशि 31.03.2020की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0701	0910	9999				
1	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अनुदान (3360)	0.00	0.00	231.48	0.00	0.00	231.48	198.74
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (2352)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
3	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (9965)	0.01	4146.45	0.00	0.00	0.00	4146.46	1352.08
4	विपणन संघ को प्याज खरीदी में हुई हानि की प्रतिपूर्ति (7261)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
5	स्व.श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना (7300)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
6	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्जे (3751)	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3803.99
7	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज (3752)	0.00	0.00	3240.00	0.00	0.00	3240.00	1786.28
8	ऑडिट बोर्ड (0359) वेतन भत्ते	0.00	0.00	5339.35	0.00	0.00	5339.35	5269.79
9	सहकारी न्यायाधिकरण की स्थापना (9909) वेतन भत्ते	0.00	0.00	204.54	0.00	0.00	204.54	133.77
10	म0प्र0राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (9088) वेतन भत्ते	0.00	0.00	147.02	0.00	0.00	147.02	74.99
	योग	0.01	4146.45	13162.42	0.00	0.00	17308.88	12621.64

भाग–ब (3)–भारत शासन का हिस्सा– सहकारिता विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना स्वीकृत नहीं है।

भाग–स– अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत बजट प्रावधान वर्ष 2019–20

वित्तीय वर्ष 2019–20 में म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा सहकारिता विभाग को मॉंग संख्या 17–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना में कुल राशि रू.40999.71 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है, इसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2020 तक राशि रू. 2212.35 लाख का आहरण किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना मॉंग संख्या 17–0103 अंतर्गत राशि रू.29580.96 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ है, इसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2020 तक राशि रू. 3095.54 लाख का आहरण किया गया ।

विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:–

(राशि लाख में)

स. क.	योजना का नाम	वर्ष 2019–20 में बजट प्रावधान		अनुपूरक /पुनर्विनि योजन 2019–20	योग	कोषालय से आहरित राशि 31.03.2020 तक		भौतिक उपलब्धि	
1	2	3		4	5	6		7	8
		0102	0103			0102	0103	0102	0103
1	सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान (9254)	16088.50	11192.00	0.00	27280.50	470.59	2463.29	18538.00	8557
2	मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना (2341)	8686.64	6801.65	0.00	15488.29	600.00	200.00	4514	1935

3	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान (9134)	2173.73	1512.16	0.00	3685.89	0.00	130.29	0	9711
4	मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना (2091)	2140.28	1488.84	0.00	3629.12	882.96	260.17	34109	30999
5	प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (5006)	370.56	66.29	0.00	436.85	258.80	41.79	849 समिति	303 समिति
6	सहकारी बैंकों को अंशपूंजी सहायता (5318)	11500.00	8500.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (7827)	40.00	20.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	वित्तीय शिक्षण (2106)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9	नवाचार अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (2107)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**40999.71**	**29580.96**	**0.00**	**70580.67**	**2212.35**	**3095.54**		

भाग–द–विगत 3 वर्षों के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं में उपलब्ध बजट एवं व्यय का विवरण:–

राशि लाख में

स. क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2017–18 में बजट		वर्ष 2018–19 में बजट		वर्ष 2019–20 में बजट	
1	2	3		4		5	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय 31.03. 2020 की स्थिति में
1	मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना (2091)	27500.00	18511.19	0.03	0.00	9305.41	2505.44
2	अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (7827)	1000.00	0.00	1000.00	0.00	460.00	0.00
3	प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृणीकरण (6678)	5.01	0.00	5.01	0.00	0.01	0.00
4	म.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन (3242)	11221.00	11219.29	10643.00	10642.12	11141.94	10064.96
5	नवीन सहकारी समितियों को अंशपूंजी (6684)	500.00	119.00	500.00	0.00	560.00	25.00
6	सहकारी बैंकों को अंशपूंजी सहायता (6318)	0.00	0.00	100000.00	100000.00	98923.06	0.00
7	सहकारी शक्कर कारखानों की स्थापना एवं सहायता (2113)	0.00	0.00	0.01	0.00	821.99	821.99

8	भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्जे (6660)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
9	विभागीय अधिकारियों का प्रशिक्षण (4026)	11.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
10	बीज संघ को रिवाल्विंग फंड हेतु अनुदान (2111)	50.00	50.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11	भण्डार गृह निर्माण हेतु अनुदान (6678)	10.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
12	राज्य / जिला सहकारी संघ के गठन की योजना (3899)	105.00	104.99	115.00	103.50	45.20	45.20
13	प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (5006)	1649.04	1456.92	1509.21	1141.44	1372.34	918.73
14	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान (9134)	36600.00	34344.84	23300.00	563.78	9451.00	4742.38
15	सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान (9254)	62962.50	49346.40	63360.00	1501.69	69950.00	6306.43
16	बीज संघ को स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान (6682)	400.00	360.00	650.00	351.00	318.26	254.61
17	बीज संघ को गोदाम एवं ग्रीडिंग प्लांट हेतु अनुदान (6683)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना (2341)	0.00	0.00	35000.00	35000.00	30916.57	10916.58
19	वित्तीय शिक्षण (2106)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

20	नवाचार अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (2107)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
21	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों/मप्रप्र0 राज्य सहकारी बैंक को अंशपूंजी सहायता (2112)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
22	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अनुदान (3350)	165.00	164.99	180.00	162.00	231.48	198.74
23	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटीकरण (2352)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
24	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाऐं (6965)	6500.00	5473.14	6500.00	1748.87	4146.46	1352.08
25	विपणन संघ को प्याज खरीदी में हुई हानि की प्रतिपूर्ति (7261)	58000.00	58000.00	0.01	0.00	0.01	0.00
26	स्व.श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना (7300)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
27	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज (3751)	4000.00	3391.01	4000.00	3867.55	4000.00	3803.99
28	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज (3752)	3000.00	2101.16	3000.00	1886.51	3240.00	1786.28
29	सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी कार्य (3808)	100.00	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30	वैद्यनाथन कमेटी के अंतर्गत सहकारी बैंक/सहकारी साख संस्थाओं की पुर्नसंरचना हेतु (6934)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	अंकेक्षण (0123) वेतन भत्ते	5856.11	4961.82	6482.71	5370.86	6738.11	5519.29

32	संचालनालय की स्थापना (2294) वेतन भत्ते	1121.34	962.25	1070.09	919.11	1133.99	999.68
33	ऑडिट बोर्ड (0360) वेतन भत्ते	4575.57	4273.53	5124.09	4848.15	5339.35	5269.79
34	सहकारी न्यायाधिकरण की स्थापना (9909)	142.29	131.17	181.75	146.88	204.54	135.77
35	मध्यप्रराज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (9068)	135.30	89.62	150.98	81.54	147.02	74.99
	योग	225609.24	195164.86	262771.98	168335.00	258386.83	55741.93

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत नवीन सहकारी संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करने तथा निर्धारित समयसीमा 45 दिवस में पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवा कमांक 35.3 में सम्मिलित किया गया है।

प्रदेश के सहकारी सोसाईटियों के संचालक मण्डल का कार्यकाल 05 वर्ष नियत है, कार्यकाल समाप्ति के पूर्व निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी का गठन कर निर्वाचन हेतु स्वतंत्र निकाय का गठन सहकारी अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संस्थाओं के निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है।

सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा का वैद्यानिक अंकेक्षण संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म से कराने हेतु संस्थाओं को स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

सहकारी संस्थाओं के कार्य व्यवसाय एवं क्रियाकलापों पर नियंत्रण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 59 में किसी सदस्य अथवा लेनदार के आवेदन पर वैद्यानिक जांच कराने के प्रावधान हैं तथा समय समय पर क्रियाकलापों के निरीक्षण हेतु धारा 60 में प्रावधान भी हैं।

भाग – पांच

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभिनव पहल

1. शून्य प्रतिषत ब्याज पर अल्पाकलीन फसल ऋण वितरण:–

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. नवाचार :–

सहकारिता में नवाचार को एक अभियान के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवाचार अन्तर्गत प्रदेश में अनेक नवीन क्षेत्रों में यथा पर्यटन, ई–रिक्शा, परिवहन, सेवाप्रदाता, जैविक कृषि, रहवासी, सामाजिक वानिकी एवं उद्यानिकी, श्रम ठेका, कड़कनाथ मुर्गीपालन, भंडारण, कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी, गणवेश, सुरक्षा, महिला गृह उद्योग, पेन्टर आर्टिस्ट सहकारी संस्था, सर्पविष विकर्ष एवं अनुसंधान समिति कुल 531 समितियों का पंजीयन किया गया है। जिसमें राज्य स्तरीय 3 फेडरेशन–म.प्र.राज्य सहकारी पर्यटन संघ, म.प्र.राज्य सहकारी भण्डार गृह संघ, म.प्र.जनऔषधि उत्पादन एवं विपणन संघ का पंजीयन भी शामिल है।

आजीविका मिशन अन्तर्गत संचालित स्वसहायता समूहों की प्राथमिक बहुप्रयोजन सहकारी समितियाँ– 9735, बहुप्रयोजन सहकारी संकुल संघ–252 एवं महिला बहुप्रयोजन औद्योगिक सहकारी संघ–07 पंजीकृत किये गये है।

3. सी.एम. हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों एवं निराकरण की स्थिति (दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31.03.2020 तक) :–

- दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि में सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर कुल 51784 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 49126 शिकायतों का निराकरण आलोच्य अवधि में कराया गया। इस प्रकार निराकरण का प्रतिशत 94.87 रहा है। उक्त अवधि में शिकायतों के निराकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

4. सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा उसकी 24 शाखाओं, 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा उनकी 829 शाखाओं को नाबार्ड की योजनान्तर्गत टीसीएस के तकनीकी सहयोग से कोर बैंकिंग से संबद्ध किया जा चुका है। इन बैंकों के मुख्यालयीन उपयोग हेतु विभिन्न माड्यूल्य भी लागू किये गये हैं। कोर बैंकिंग के पश्चात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया के सहयोग से प्रदेश की शीर्ष बैंक सहित सभी जिला बैंको की शाखाओं में आर.टी.जी.एस. /एन.ई.एफ.टी. सेवायें प्रारंभ की गई है। ग्राहकों के खातों में होने वाले संव्यवहारों की सूचना ग्राहकों को तत्समय देने के उद्देश्य से एस.एम.एस एलर्ट सुविधा भी प्रदान की जा रही है। सहकारी बैंको द्वारा डीबीटी के तहत रसोई गैस , आधार कार्ड से अपने ग्राहकों को सब्सिडी खाते में देने की सुविधा भी दी जा रही है। बैंको के ग्राहकों के लिये एटीएम सह डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान उपलब्ध कराई गयी है। इस प्रकार सहकारी बैंको द्वारा अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान समस्त आधुनिक बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे है।

5. ई–गवर्नेंस क्षेत्र में सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग द्वारा एन.आई.सी., भोपाल की मदद से तैयार किये गए "ई–कोआपरेटिव्स" वेब एप्लीकेशन पर शिकायत, आर.टी.आई. अंतर्गत आर.टी.आई. ट्रेकिंग एण्ड मानिटरिंग सिस्टम, जिले स्तरों की समस्त सहकारी संस्थाओं का सिस्टम आधारित अंकेक्षण आवंटन, ऑन–लाईन सी.ए. का इमपेनलमेंट किया गया है तथा साथ ही जी.टू.सी. एवं जी.टू.जी. सेवाओं अंतर्गत विभाग के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता लाने का प्रयास किया गया है। इस पोर्टल के क्रियान्वयन से विभाग के अनेक कार्यों का निष्पादन अधिक सुगम हो गया है।

भाग – छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं के नियमन हेतु जारी विभिन्न परिपत्रों का संकलन कर मैन्यूअल का समय–समय पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रकाशन निरंतर किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी समाचार पत्र का पाक्षिक रूप से निरंतर प्रकाशन किया जाता है। जिसमें शासकीय योजनाओं तथा सहकारिता की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। संघ द्वारा सहकारी अधिनियम/नियम/संस्थाओं की उपविधियों एवं सहकारी गतिविधियों से संबंधित विशेषांकों का भी समय–समय पर प्रकाशन किया जाता है।

भाग – सात

सारांश

सहकारिता विभाग प्रमुख रूप से एक नियामक विभाग के रूप में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक कल्याण के कार्य में संलग्न है। विभाग विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का पंजीयन करता है। पंजीकृत सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों का नियमन करता है। विभिन्न शासकीय योजनाओं का संचालन भी विभाग सहकारी समितियों के माध्यम से ही करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संचालन में सहकारी समितियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियां न केवल कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण, विभिन्न कृषि आदान, रासायनिक उर्वरक,बीज आदि उपलब्ध कराती है बल्कि यह समितियां खाद्यान्नों के उपार्जन के कार्य में भी संलग्न हैं। प्रदेश में सावर्जनिक वितरण प्रणाली के संचालन में भी सहकारी समितियों की भागीदारी उल्लेखनीय है। सहकारी समितियां प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, वनोफ्ज के संग्रहण आदि अन्य आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं। संक्षिप्ततः प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संचालन में सहकारी समितियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और विभाग इन सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के जन समुदाय के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

.....

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश
भू–तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल, पिन कोड 462004

म.प्र. राज्य सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, भोपाल द्वारा मुद्रित – 2020